(8)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

अधिहरण अपील वाद सं0 03/2019–20

इस्ताक अंसारी एवं अन्य ..... अपीलकर्त्ता

बनाम

झारखण्ड सरकार ..... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

19/03/2021 यह अधिहरण अपील वाद सं0 03/2019–20 इसताक अंसारी एवं अन्य बनाम् झारखण्ड सरकार के बीच प्राधिकृत पदाधिकारी सह वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका के अधिहरण वाद सं0 37/2018 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैनें उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 14.11.2018 को (1) होण्डा (Dream Neo) मोटर साईकिल चेचिस नं0 JC78E80058513 ईंजन नं0 ME4JC781EJ8054165 (2) होण्डा (Unicorn) मोटर साईकिल निबंधन सं0 JH04N 6293 (3) बजाज (प्लेटिना) मोटर साईकिल चेचिस नं0 MDZDDDZZZRWA10126 (4) जॉन डियर ट्रेक्टर एवं ट्रेलर ईंजन नं0 PY3029D430533 चेचिस नं0 1PY5036DTHA004111 (हरा रंग का) एवं उसमें लदे सेमल प्रजाति के कुल 08 बोटा लकड़ी, आरा 02, कुल्हाड़ी 02, हथौड़ा 02 को अवैध परिवहन करने के वन अपराध में संलिप्त पाये जाने पर भारतीय वन (बिहार संशोधन 1989) अधिनियम 1927 की धारा 30(C), 33, 41 एवं 42 के उल्लंघन के आरोप में तथा इसी अधिनियम की धारा 52(3) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा अधिहरित किया गया है। इन सभी समानों को वन पदार्थ का अवैध पातन करते हुए मौजा निझोर सरदारी सर्कल रांगा

(4)

मसलिया नं0 13 सुरक्षित वन क्षेत्र के प्लॉट सं0 1303 से जप्त किया गया है। उक्त वन भूमि के अधिसूचना सं0 C/F-17075-4092-R दिनांक 30.10.1955 है।

इस पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जप्त किये गये मोटर साईकिल का लकड़ी एवं ट्रेक्टर से कोई संबंध नहीं है, यह सड़क पर खड़ी थी। उनका यह भी कहना है कि मोटर साईकिल सिर्फ सवारी के उपयोग हेतु न कि लकड़ी को लोडकर ले जाने के लिये। इसलिये मोटर साईकिल को जप्त कर अधिहरण किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के इन समानों को जप्त करने के पश्चात अपीलकत्ताओं को कारण–पृच्छा की नोटिस निर्गत किया गया किन्तु उनके द्वारा निम्न न्यायालय में कोई कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय को जप्त काण्डों के परिवहन से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य/वैध अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया और न तो वन अपराध में संलिप्त नहीं होने से संबंधित कोई साक्ष्य ही उपलब्ध कराया गया। फलतः अपीलकत्ताओं के उपरोक्त सामग्रियों को जप्तकर अधिहरण की कार्रवाई की गई।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलकत्ताओं द्वारा निम्न न्यायालय में न तो कारण–पृच्छा ही दाखिल किया गया है और न तो वन अपराध में संलिप्त न होने से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होती है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

29 ... 20/4/21

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
दुमका।
19/3/2021

उपायुक्त,
दुमका।
19/3/2021

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 13:57:48 +05:30
Location: 169.254.227.244